न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / एलआर / 7516 / 2006 / श्रींगंगानगर

1— करणीसिंह पुत्र स्व. दानसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 17 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2— कमलादेवी पत्नी स्व. पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 26 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1— स्टेट ऑफ राजस्थान
2— भंवरसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
2 / 1 श्रीमती शांतिकंवर सोढा पत्नी भंवरसिंह
2 / 2 हिमांशु पुत्र भंवरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शांतिकंवर।
2 / 3 तमन्ना सोढा पुत्री भंवरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शांतिकंवर।
3— नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह
4— आशाकंवर पुत्री स्व. पृथ्वीसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 26 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थितः—
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
श्री राजेन्द्र प्रजापत, अप्रार्थी संख्या 2 / 1, 2 / 2, 2 / 3, 3, 4 की ओर से

———

थ्दनांक : 21—9—2021

निर्णय

यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 9 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 3—06—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी संख्या 1 के पिता व 2 के श्वसुर को उपनिवेशन तहसील सूरतगढ़ न. 1 के खसरा नम्बर 444 / 4 के 12.650 है0

भूमि (जिसे निगरानी में विवादग्रस्त भूमि कहा जायेगा) उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ न. 1 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई। जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा। दानसिंह की मृत्यु के पश्चात विवादग्रस्त भूमि का नवीनीकरण दानसिंह की पत्नी भंवरकंवर के नाम से होता रहा। भंवरीकंवर की दिनांक 14–5–1997 को मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त है। विवादग्रस्त भूमि का सम्वत् 2061 तक नवीनीकरण किया जा चुका है। तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने मृतक भंवरीकंवर को नोटिस इस आशय का जारी किया कि प्रार्थी राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की शर्तो का उल्लंघन किया है तथा भूमि शहरी क्षेत्र के पैराफैरी क्षेत्र में आने के कारण विवादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। तत्पश्चात तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 3–6–2006 द्वारा प्रार्थीगण का आवंटन खारिज कर दिया। तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ के निर्णय दिनांक 3–6–2006 से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी संख्या 1 पिता व प्रार्थी संख्या 2 के श्वसुर को उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टी. सी.) पर दी गई थी जिसका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त नियमों की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है और बिना किसी कारण के अंकित किये विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन को खारिज कर दिया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि भूमि को पैराफैरी क्षेत्र में आना मानते हुए आवंटन को निरस्त किया गया है किन्तु इसके लिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है और ना ही इसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित किया है बल्कि पूर्व में प्रिण्टेड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया हैं। उनका तर्क है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 4, 6 व 7 के अनुसार निस्तारण के लिए कारण सहित (रीजण्ड) एवं स्पीकिंग निर्णय आवश्यक है। उनका यह भी कथन है कि निगरानीधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि राजस्व उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की शर्त संख्या 6(4) के तहत तहसीलदार सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा। शर्त संख्या 19 (1) (5) के तहत अभिधृति के पर्यवसान के प्रावधान दिये गये है। नियम 19ए की शर्त की अनुपालना नहीं करने में पट्टा निरस्त करने की शक्तियां

जिला कलक्टर में निहित है, तहसीलदार को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है, अतः तहसीलदार का आदेश स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुए पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा दिनांक 3–6–2006 को पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुए क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए पारित किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे और निगरानी को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय निगरानी संख्या 5714 / 2007 निर्णय दिनांक 02–12–2020 उनवानी भूपेन्द्र बनाम सरकार, 6410 / 2006 उनवानी मोतीसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 17–1–2018 व 3478 / 2006 निर्णय दिनांक 01–11–2017 धन्नेसिंह बनाम सरकार उद्धरित किये।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 8–2–2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, उसका न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और ना ही इस पर खातेदार प्रदत्त की जा सकती है। प्रश्नगत भूमि पैराफेरी क्षेत्र में आ चुकी है, जिस पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकार की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये नवीनीकरण प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत तरीके से तय किया गया है और वेस्टलेण्ड हेतु बने नियमों के तहत उक्त रकबा को सही प्रकार से खारिज किया गया है। आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार अनियमितता या क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करने जैसी भूल नहीं है। निगरानी के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा प्रार्थी पक्ष की ओर से उद्धरित माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णयों का व सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब / शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से सहमत होते हुए एवं नर्म रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8— पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण को उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत अस्थाई काश्त (temporary cultivation) पर दी गई थी और समय समय पर इसका नवीनीकरण होता रहा है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत वे स्थितियां दी गई हैं जिनके तहत काश्तकारी का समापन किया जा सकता है। इन्हीं नियमों के तहत नियम (V) के आगे अंकित किया गया है कि ''तो कलेक्टर पट्टे को कभी समाप्त कर सकेगा और इसके पश्चात ऐसी भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा''। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थाई काश्त खारिज करने की शक्तियां कलक्टर में निहित है ना कि तहसीलदार में। स्पष्ट है कि तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा पूर्व से प्रिण्टेड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए आक्षेपित आदेश के तहत अस्थाई काश्त आवंटन को खारिज कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए कार्यवाही की है, जो कि समर्थन योग्य नहीं है। निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

9— अतः उपरोक्त विवचेन के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.) सूरूतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3—6—2006 को निरस्त किया जाता है साथ ही यह भी उल्लेखित किया जाता है कि संबंधित सक्षम अधिकारी / जिला कलक्टर इस बाबत् विधि अनुरूप कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य